रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1365] नई दिल्ली, सोमवार, जून 17, 2013/ज्येष्ठ 27, 1935
No. 1365] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 17, 2013/JYAISTHA 27, 1935

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2013

का.आ. 1701(अ).—मोटलों के लिए अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुपात (फ्लोर एरिया रेशो) अधिसूचना संख्या का.आ. 2555 (अ), दिनांक 26 अक्तूबर, 2012 द्वारा बढ़ाया गया था। अब, केन्द्र सरकार ने अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुपात के लिए प्रभारों को निम्नानुसार अनुमोदित कर दिया है :

क्रम संख्या	मोटलों की अवस्थिति	दरें (रुपयों में) प्रति वर्ग मीटर
1.	राष्ट्रीय राजमार्गों पर	4436
2.	अन्तर्राज्जीय सड़कों पर	2883
3.	अन्य क्षेत्रों में	1874

उपर्युक्त दरें, संस्वीकृति के अनुसार पहले से उपयोग किए जा रहे एफएआर के निवल पर प्रस्तावित वास्तविक एफएआर पर अनुपातिक आधार पर लागू होंगी।

2. दिनांक 26 अक्तूबर, 2012 की उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार अन्य मानक और अनुमत कार्यकलाप वही होंगे जो होटल उपयोग परिसरों के लिए लागू हैं। तथापि, इससे सम्पत्ति का व्यावसायिक उपयोग होगा इसलिए अतिरिक्त प्रभार वसूल किया जाएगा। यह प्रभार व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए रखे गये वास्तविक क्षेत्रफल के संबंध में उपर्युक्त पैरा 1 में लगाए गए प्रभार पर 20% अतिरिक्त लगाया जाएगा।
3. ये दरें, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से इनमें किए जाने वाले अगले संशोधन एवं अधिसूचना जारी किए जाने तक लागू रहेंगी।

[फा. 2 (34)99/एओ(पी)/डीडीए)]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2013

S.O 1701(E).—The additional floor area ratio for Motels was enhanced vide notification No. S.O. 2555(E), dated 26th October, 2012. Now, the Central Government has approved the charges for additional FAR as given hereunder :

S. No.	Location of Motels	Rates (Rs. per sqm.)
1.	On National Highways	4436
2.	On Inter-State Roads	2883
3.	In other areas	1874

The above rates shall be applied on proportionate basis, on actual FAR proposed to be achieved net of FAR already used as per sanction.

2. As per aforesaid Notification dated 26th October, 2012 other norms and permissible activities shall be same as applicable to hotel use premises. However, additional surcharge shall be levied as it would lead to commercial exploitation of the property. Such, surcharge shall be levied at 20% over the charge levied in para 1 above in respect of the area actually devoted to commercial activities.
3. The rates will remain in force till these are further modified and notified with approval of the Central Government.

[F. 2(34)99/AO(P)/DDA]

D. SARKAR , Commissioner–cum-Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.